



.....हीरालाल.....

बनाम मैनादेवी.....

किस्म मुकदमा :- २१२ R.T.A. ५

नंबर८६.. वर्ष 20२६

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र (२१२ R.T.A. ५) अनुसार लक्ष्मण पुर धीतर के सभी (अर्धी व अपाधी सं.) से १) कारिसान आवश्यक पक्षकार है वसालिए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के तहत बुध (आंशिक) पक्षकारों को <u>delete नहीं</u> किया जा सकता अतः पत्रावली वास्ते तलबी व प्रतिवादी सं. (अपार्धी) 10 के वकालतनामा हेतु दि० २७-११-२५ को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर) </p> <p>२७-११-२५ पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के वकील उपस्थित। नोटिस तलवाना पेश नहीं किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन अनुसार एकरण काफी लम्बे समय से तलबी में लंबित है, इसके बावजूद नोटिस तलवाना पेश नहीं किया, अतः एकरण को वकील स्तर पर अदम तकमील में खारिज किया जाता है।</p> <p style="text-align: center;"> पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। </p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर) </p>	

